न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध **बैंक प्रकरण संख्या 133/2024(GCMS : 2024/197)**

आवास फाईनेंशियर्स लिमिटेड रजिस्टर्ड पता – 201, 202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड स्कवायर मानसरोवर इंडस्ट्रियल एरिया, जयपुर–302020 स्थानीय शाखा नजदीक राजस्थान पत्रिका मार्ग, आईसीआईसीआई के ऊपर शिव चौक, सूरतगढ़ रोड़, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि प्रेम कुमार

<u>बनाम</u>

1. **बिमला** पत्नी श्री रतनलाल निवासी वार्ड नं. 12, बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर पिन नं. 335041
2. **स्व. श्री रतन लाल** पुत्र श्री मोधो राम जरिये विधिक वारिसान –
   (क) बिमला पत्नी स्व. श्री रतन लाल
   (ख) विनोद कुमार पुत्र स्व. श्री रतन लाल
   (ग) अमित कुमार पुत्र स्व. श्री रतन लाल
   निवासीयान वार्ड नं. 12, बींझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335041
3. **राजेन्द्र कुमार** पुत्र डालू राम निवासी 48 एलएनपी बींझबायला, तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) पिन नं. 335041

<u>11.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री योगेन्द्र मूंड उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक की ओर से नॉट प्रैस किये जाने का प्रार्थना पत्र की। प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. ने अप्रार्थीगण बिमला, स्व. रतनलाल के विधिक वारिसान बिमला, विनोद कुमार, अमित कुमार एवं राजेन्द्र कुमार द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बिमला की **आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 1008, बुक सं. 21, साईज 1764 वर्गफुट ग्राम पंचायत बींझबायला, पंचायत समिति, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में डुंगरराम, दक्षिण में गोमा, पूर्व दिशा में श्योचंद, पश्चिम दिशा में रास्ता है, का** भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

एक प्रार्थना पत्र दिनांक 20.09.2024 को प्रस्तुत कर रखा है और प्रार्थी बैंक ऋणी के विरूद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता है **अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस** प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 20.09.2024 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण बिमला, स्व. रतनलाल के विधिक वारिसान बिमला, विनोद कुमार, अमित कुमार एवं राजेन्द्र कुमार के विरूद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में बिमला की **आवासीय सम्पत्ति पट्टा नम्बर 1008, बुक सं. 21, साईज 1764 वर्गफुट ग्राम पंचायत बींझबायला, पंचायत समिति, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राज.) जिसके उत्तर दिशा में डुगरराम, दक्षिण में गोगा देवी, पूर्व दिशा में श्योचंद, पश्चिम दिशा में रास्ता है,** का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते है अर्थात नॉट प्रैस करते है। इस आश्य का नोट प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्दअहकाम के हाशिये पर अंकित किया है, जो पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी आवास फाईनेंशियर्स लि. द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:34:03 IST
Reason: Self Attested